न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः टी.ए. 42/2021
पंजीयन दिनांकः 24.09.2021

1. श्रीलाल पिता किशना जाति अहीर निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
2. माधवलाल पिता किशना जाति अहीर निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
3. नारू पिता किशना जाति अहीर निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
4. चांदी पुत्री किशना जाति अहीर निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
5. मु0 मांगीबाई पत्नि किशना जाति अहीर निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टगण/विपक्षीगण

बनाम

1. गुलाबी पिता गणेश जाति ब्राह्म्ण निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
2. देवीलाल पिता माधुलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
3. कृष्णगोपाल पिता मोहन जाति ब्राह्म्ण निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
4. ओमप्रकाश पिता मोहन जाति ब्राह्म्ण निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
5. गौरीशंकर पिता मोहन जाति ब्राह्म्ण निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

– रेस्पोडन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन
प्रकरण संख्या 14/2018 प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 24.08.21

उपस्थित वक्त बहस
1. छोगालाल– अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. ख्यालीलाल सुखवाल– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 6

निर्णय **दिनांक 20.12.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मोजा मुंगाना तहसील कपासन की कृषि आराजी नम्बर 2173, 2174, 2177, 2184, 2191, 2198, 2199, 2175, 2178, 2179, 2182, 2183, 2185, 2194 व आराजी नम्बर 2176, 2180, 2181, 2187, 2188, 2189, 2190, 2192, 2193 अवस्थित है। उक्त कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण की खातेदारी की है। उक्त कृषि आराजीयात पर आने–जाने का रास्ता कृषि आराजी नम्बर 1458,1468 मे होते हुए कृषि आराजी नम्बर 3455 मे होकर कृषि आराजी नम्बर 2192 मे पहूंचकर अपनी–अपनी आराजी मे आते–जाते है। उक्त रास्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से5 प्रार्थीगण का पुराना रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण का ओर कोई रास्ता नही है। उक्त कृषि आराजीयात अपीलान्टगण विपक्षीगण के खातेदारी मे दर्ज होने से रोक–टोक करते है जिससे राजस्व रेकार्ड मे रास्ता कायम कराया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टगण विपक्षीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। अपीलान्टगण विपक्षीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ विद्वान विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व निवेदन किया कि उक्त कृषि आराजीयात अपीलान्टगण विपक्षीगण के खातेदारी की है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 प्रार्थीगण का कोई रास्ता नही है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 प्रार्थीगण का रास्ता मुंगाना की कलोलाई नाडी की पाल के पीछे होकर गाडी गडार है। जो वर्तमान मे चालु है। उक्त कृषि आराजीयात अपीलान्टगण विपक्षीगण के खातेदारी की है। रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण का वैकल्पिक रास्ता होते हुए अपीलान्टगण विपक्षीगण के खातेदारी की कृषि आराजीयात मे रास्ता कायम कराये जाने के अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत होने के बाद अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त रास्ते बाबत् तहसीलदार कपासन से मौका रिपोर्ट तलब की जो भू-अभिलेख निरीक्षक धमाणा ने दिनांक 27.02.2019 को मौका रिपोर्ट तैयार की जिस पर आपत्ति प्रस्तुत होने पर तहसीलदार कपासन से दिनांक 20.11.2019 को पुनः मौका रिपोर्ट तलब की व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण विपक्षीगण के खातेदारी की कृषि आराजीयात आराजी नम्बर 3455 व 1468 जो अपीलान्टगण विपक्षीगण के खातेदारी मे दर्ज है, को रास्ता होना मानते हुए रास्ता कायम किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण विपक्षीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

इस न्यायालय मे अपीलान्टगण विपक्षीगण की ओर से रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण सं. 1 से 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण विपक्षीगण ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण ने अपीलान्टगण विपक्षीगण के खातेदारी मे दर्ज कृषि आराजी नम्बर 3455 व 1468 पर रास्ता कायम किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण अपीलान्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलान्टगण विपक्षीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण विपक्षीगण की कृषि आराजीयात पर कोई रास्ता कभी नही रहा है। रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण अपने खातेदारी की कृषि आराजीयात पर मुंगाना की कलोलाई की नाडी की पाल के पीछे होकर अपनी कृषि आराजीयात पर आ जा रहे है जो वर्तमान मे रास्ता चालु है। वर्तमान मे वैकल्पिक रास्ता होते हुए नया रास्ता कायम किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण अपनी सुविधा के लिये रास्ता चाहते है। उक्त रास्ते के सम्बन्ध मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने मौका रिपोर्ट तलब कर रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण को रास्ता दिलाये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण प्रार्थी 1 से 5 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 की कृषि आराजीयात मोजा मुंगाना तहसील कपासन मे होकर खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है। उक्त कृषि आराजीयात पर आने-जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण ने अपीलान्टगण विपक्षीगण के खातेदारी मे दर्ज कृषि आराजी नम्बर 1468 मे होते हुए कृषि आराजी नम्बर 3455 मे होकर कृषि आराजी नम्बर 2192 मे पहूँच कर अन्य कृषि आराजीयात मे आते-जाते है। उक्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण की कृषि आराजीयात पर आने-जाने का ओर कोई रास्ता नही होने से व उक्त रास्ता अत्यान्तिक व लघुतम होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त रास्ते बाबत् तहसीलदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कपासन से मौका रिपोर्ट तलब की है जिस पर अपीलान्टगण विपक्षीगण ने आपत्ति प्रस्तुत की। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पुनः रिपोर्ट तलब की, दोनो रिपोर्टो मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात पर रास्ता नही होना मानते हुए रास्ता दिलाया जाना प्रस्तावित किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व आदेश विधिसम्मत होने से अपीलान्टगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 6 विपक्षी ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 24.08.2021 जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, के तहत रेस्पोडेन्टगण 1 से 5 प्रार्थीगण के अपने खातेदारी की कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे आने-जाने के रास्ते के सम्बन्ध मे तहसीलदार कपासन से मौका रिपोर्ट ली जाकर अत्यान्तिक व लघुतम होना मानते हुए पारित किया है, जो विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्टगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओ की ओर से प्रस्तुत बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 प्रार्थीगण ने अपीलान्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा मुंगाना तहसील कपासन मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात अवस्थित है। उक्त कृषि आराजीयात पर आने-जाने का एकमात्र रास्ता आराजी नम्बर 1458 रास्ता मे होकर कृषि आराजी नम्बर 1468 मे होते हुए कृषि आराजी नम्बर 3455 की मेड़ पर होकर कृषि आराजी नम्बर 2192 मे प्रवेश करते है। उसके बाद रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 प्रार्थीगण अपनी-अपनी कृषि आराजीयात मे आते-जाते है। उक्त रास्ते के अलावा अपीलान्टगण की कृषि आराजीयात मे आने-जाने का ओर कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। उक्त रास्ता अपीलान्टगण का अत्यान्तिक व लघुतम रास्ता है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र व दोनो बार मंगवाई गई मौका कमिश्नर रिपोर्ट व अपीलान्टगण विपक्षीगण के द्वारा बताया गया वैकल्पिक रास्ता मुंगाना की कलोलाई नाडी के पाल के पीछे रास्ता होने के सम्बन्ध मे परीक्षण किया जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 प्रार्थीगण को अत्यान्तिक व लघुतम रास्ता रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण को खातेदारान अपीलान्टगण विपक्षीगण को नियमानुसार मुआवजा राशि दिलाई जाकर रास्ता दिलाये जाने का आदेश पारित किया है। जो विधिसम्मत होने से अपीलान्टगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण विपक्षीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन के प्रकरण संख्या 14/2018 प्रार्थना पत्र मे पारित निर्णय व आदेश दिनांक 24.08.2021 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)